



प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री-किसान)

शुरू किया	चालू हुआ - 1 दिसंबर 2018 लॉन्च किया गया: 24 फरवरी 2019
लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि	1 फरवरी 2019 (भूमिधारक की मृत्यु के मामले में उत्तराधिकार पर भूमि के हस्तांतरण को छोड़कर अगले 5 वर्षों के लिए)
कहाँ शुरू की	गोरखपुर, यूपी में पीएम मोदी
उद्देश्य	किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए
कवरेज/पात्रता	सभी भूमिधारी किसान परिवार
योजना बहिष्कार	सभी संस्थागत भूमि धारक। भूमिहीन श्रम संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
धन	100% केंद्र सरकार
वित्त वर्ष 2020 के लिए बजट परिव्यय	2175,000 करोड़ रुपये (सभी योजनाओं में सबसे अधिक)
भुगतान मोड	डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर)
आय सहायता के तहत	स्कीम 6000/- वर्ष
प्रति वर्ष कुल किस्तें	प्रत्येक 4 महीने की अवधि के लिए तीन (2000/-)
पहली किस्त	01.12.2018 से 31.03.2019 तक
कुल लाभार्थी	(15/09/2020 तक) 11.02 करोड़
लागू	पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (प्रधानमंत्री-केएमवाई)

शुरू किया	पंजीकरण शुरू हुआ – 9 अगस्त, 2019 प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया: 12 सितंबर, 2019
लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि	01 अगस्त 2019
कहाँ शुरू की	रांची, झारखंड वित्तीय राज्य सरकार ने एलआईसी के साथ साझेदारी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए 10,774 करोड़ का परिव्यय किया
उद्देश्य	लघु और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा (एसएमएफ)
कवरेज/पात्रता	लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच संबंधित राज्य/यूटी के भू-अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि
योजना बहिष्कार	किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शामिल एसएमएफ, जिन किसानों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यापरी मानधन का विकल्प चुना है। सभी संस्थागत भूमि धारक
धन	100% केंद्र सरकार
लाभ	60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3000 रुपये प्रति माह। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान का जीवनसाथी पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।
मासिक योगदान	60 की उम्र तक 55 से 200 रुपये प्रतिमाह। (किसानों की आयु)
कुल नामांकन	(15/09/2020 तक) 2.06 करोड़